न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

अग्रक्रय (Pre-emption) भू–हदबन्दी अपील वाद संख्या–68/2016

जय नन्दन चौधरी –बनाम– मसो0 रेणु देवी एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित।
03/08/2018	**आदेश** उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2016 (अग्रक्रय वाद सं0–01/2013–14; जय नन्दन चौधरी बनाम मसोमात रेणु देवी एवं अन्य) के विरूद्ध दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित करते हुए संबंधित पक्षकार को सूचना निर्गत करने तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त करने का निदेश दिया गया। तदालोक में प्रत्यर्थी सं0–3 इस वाद में उपस्थित होकर अपना प्रत्युत्तर दाखिल किये हैं, जबकि प्रत्यर्थी सं0–1 एवं 2 सूचना के तामिलोपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए हैं। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश स्थातिप विधि के विपरीत है। उक्त के समर्थन में अधिवक्ता का कथन है कि निबंधित केवाला सं0–1269 दिनांक 29.01.2013 के माध्यम से खाता सं0–302 (नया) खेसरा सं0–290, 291 (पु0)/489 (नया) रकबा 4कट्ठा की भूमि मसो0 रेणु देवी पति स्व0 सुधीर कुमार चौधरी के द्वारा राजो राय पिता स्व0 लक्ष्मी राय को बेची गई। उक्त निबंधित केवाला में अंकित चौहद्दी की विवरणी से स्पष्ट है कि भूमि के दक्षिण की चौहद्दी में अपीलार्थी का नाम अंकित है। स्पष्टतः अपीलार्थी को अग्रक्रय करने का अधिकार है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि इसी बीच उक्त राजो राय संबंधित भूमि को दानपत्र द्वारा वीणा देवी को हस्तांतरित कर दिया जो मेरे अग्रक्रय के अधिकार से वंचित करने के लिए किया गया है। स्थापित विधि के अनुरूप प्राप्त जानकारी के पश्चात अपीलार्थी के द्वारा एक अग्रक्रय वाद सं0–01/2012–13 दायर किया गया। निम्न न्यायालय उक्त तथ्यों की गहन विवेचना किये बगैर ही प्रश्नगत् आदेश पारित किये हैं, जो विधि विरूद्ध है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाय। प्रत्यर्थी सं0–03 वीणा देवी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि दायर अपीलवाद अपोषनीय, काल बाधित एवं स्थापित विधि में सन्निहित प्रावधान के विपरीत दायर किया गया है। उक्त के समर्थन में अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या–3 भूमिहीन महिला है एवं निबंधित दानपत्र दिनांकित 09.04.2013 में निहित भूमि के अतिरिक्त उनके पास कोई भूमि नहीं है। विधि के सर्वमान्य सिद्धान्त के अनुरूप	

भूमिहीन एवं दानपत्र के माध्यम से प्राप्त भूमि के विरूद्ध अग्रक्रय का दावा मान्य नहीं है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित है (वी0वी0सी0जे0–1985, पेज सं0–597)। अतः दायर अपीलवाद को निरस्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि निबंधित केवाला सं0–1269 दिनांक 29.01.2013 को निष्पादित किया गया है। केवाला में दक्षिण चौहद्दी में अपीलार्थी का नाम अंकित है। दानपत्र दिनांक 09.04.2013 को प्रत्यर्थी सं0–3 वीणा देवी के नाम हस्तांतरित है। दानपत्र निष्पादित तिथि दिनांक 09.04.2013 के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में एक अग्रक्रय वाद सं0–01/2013–14 को दायर किया गया है। अग्रक्रय वाद सं0–01/2013–14 निबंधित केवाला संख्या–1269 दिनांक 29.01.2013 के परिप्रेक्ष्य में दायर किया गया है। अभिलेख पर संधारित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित तथ्य के अनुरूप भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश एक विधि सम्मत् आदेश है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि केवाला के निबंधन के पश्चात् एक दान पत्र भी निष्पादित किया गया है। निष्पादित दानपत्र के आलोक में अभिलेख पर संधारित तथ्य के अनुरूप अपीलार्थी के द्वारा निष्पारित दान पत्र पर किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं किया गया है। निबंधित दानपत्र की प्रासंगिकता एवं विश्वसनीयता पर भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गयी है। अभिलेख पर संधारित माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के कंडिका (8) में स्पष्टतः यह तथ्य अंकित है कि *"Both on principle and prevalent, the answer to the question posed at the outset must be rendered in the affirmative and it is held that the tenuous right of statutory pre-emption under 16(iii) of the Act can be defeated by a valid, bonafide gift by the original transferee prior to the filing of the application for pre-emption"* अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि दानपत्र की निष्पादित तिथि दिनांक 09.04.2013 है, जबकि अग्रक्रय वाद संख्या–01/2013–14 दिनांक 17.04.2013 को दाखिल किया गया है।

अतः सम्यक रूप से विचारोपरान्त मेरा समाधान है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

03/08/18
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।